


18.12.23

पत्रावली पेश हुई । वकील अभ्यक्ष उपस्थित ।

वादी की ओर से वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो चुका है अतः वादपत्र को झगो नही चलाना चाहते इसी स्तर पर वादपत्र वापिस लेना चाहते हैं। अतः वादी का प्रां पत्र स्वीकार किया जाकर Non Press के अन्तर्गत पर वादी का यह वादपत्र इसी स्तर पर रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली बाद तत्कालीन तकमील होकर डाकपिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर जूले न्यायालय में

पुनाया गया ।

  
(अमिता बिश्नोई)  
RAS.